फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **नायक/सुबेदार विमल कुमार सिंह**, पिता–स्व0 ब्रह्मानंद सिंह, सा0–ग्रेसन इंजीनियर, (मिलिट्री इंजीनियर सर्विस), दानापुर कैंट, थाना–दानापुर, जिला–पटना, स्थाई पता–ग्राम–रेवसां, पो0–माटीगाँव, थाना–सकलडीह, जिला–चन्दौली (उ0प्र0) से प्राप्त एक एस0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–892/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1019/गो0, दिनांक–11.11.2011 द्वारा जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर द्वारा थानाध्यक्ष, दानापुर के जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अति विशिष्ट कारण का उल्लेख नहीं करने की बात अंकित की गई है, जिसके आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रपत्र पर अग्रसारित एवं अनुशंसा नहीं करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे भारतीय डाक सेवा में कार्यरत हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एस0बी0बी0एल0 गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नायक/सुबेदार विमल कुमार सिंह, पिता–स्व0 ब्रह्मानंद सिंह, सा0–ग्रेसन इंजीनियर, (मिलिट्री इंजीनियर सर्विस), दानापुर कैंट, थाना–दानापुर, जिला–पटना, स्थाई पता–ग्राम– रेवसां, पो0–माटीगाँव, थाना–सकलडीह, जिला–चन्दौली (उ0प्र0) के आवेदित एक एस0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।